न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/2024
प्रकरण दर्ज तिथि :— 09.02.2024
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/30

1. प्रेमसिंह पुत्र रामसिंह
2. किशनसिंह पुत्र रामसिंह
3. हनुमानसिंह पुत्र रामसिंह
4. जमनादेवी पुत्री रामसिंह
5. पुष्पादेवी पुत्री रामसिंह
6. नोजी पत्नि रामसिंह

कौम रावत निवासी खींवल तहसील रायपुर **प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर
2. पटवारी, पटवार हल्का द्वितीय तहसील रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री भवानी सिंह सोलंकी प्रार्थी उपस्थित
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— 22.08.2024

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह सोलंकी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 2504/2 रकबा 29.7282 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, जिसकी जमाबंदी संवत् 2074–2077 की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जिसको प्रार्थना पत्र आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण पिता का नाम रामसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज जमाबंदी वक्त सेंटलमेट से चला आ रहा था, जो कि सही इन्द्राज हैं जो जमाबंदी संवत 2066–2069 तक यथायत आ रहा था, जमाबंदी संवत् 2066–2069 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं।

जमाबंदी संवत् 2070–2073 कम्प्यूटीकृत जमाबंदी करते समय पटवारी महोदय रायपुर द्वितीय व कम्प्यूटर ऑपरेटन द्वारा सेवन व लिपिकीय भूलवश रामसिंह पुत्र राजूसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र गाजीसिंह दर्ज किया गया, जो गलती निरन्तर आज दिन तक चली आ रही हैं। प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थीगण के पिता के देहान्त होन व उनका फौतदगी नामान्तरण दर्ज करवाने हेत पटवारी हल्का रायपुर द्वितीय के यहां दिनांक 30.01.2024 को गये तब जानकारी में आया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामसिंह पुत्र राजूसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र गाजीसिंह गलत दर्ज हैं।

प्रार्थीगण की भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को भारी समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं जिससे प्रार्थी[illegible] फसलों का बीमा करवाने व बैंक से ऋण लेने में भारी समस्याओं का सामना करना प[illegible]हा [illegible]सलिए प्रार्थीगण की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे पुनः जमाबंदी संवत् 2066–2069 के [illegible] पुनः रामसिंह पुत्र गाजीसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित [illegible]आवश्यक हैं। इसके लिए प्रार्थीगण दिनांक 31.01.2024 को पटवारी हल्का रायपुर द्वितीय के पास अ[illegible] भूमि के राजस्व रेकर्ड में पुनः जमाबंदी संवत् 2066–2069 के अनुसार अपने पिता का नाम दर्ज करने [illegible] कहा तो पटवारी महोदय ने बताया कि इसका सुधार न्यायालय द्वारा ही करवाना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी संवत् 2051–2054 के अनुसार पुनः रामसिंह पुत्र गाजीसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज करवाकर जमाबंदी में अमल दरामद करवाने हेतु श्रीमान के समक्ष पेश हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 2504/2 रकबा 29.7282 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जो लिपिकीय भूलवश रामसिंह पुत्र गाजीसिंह दर्ज कर दिया गया हैं, उसको पुनः जमाबंदी संवत् 2066–2069 के अनुसार रामसिंह पुत्र राजूसिंह दर्ज कर जमाबंदी में अमल दरामद करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर के पत्रांक/1883 दिनांक 18.07.2024 के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें पटवारी हल्का की जांच अनुसार जमाबंदी ग्राम खींवल संवत् 2066–2069 के खसरा संख्या 2504/2, 2504/8 मे खातेदार का नाम रामसिंह पुत्र राजूसिह था जो आगामी जमाबंदी संवत् 2070–73 तहरीर करते समय त्रुटिवश रामसिंह पुत्र गाजीसिंह अंकित हो गया हैं। राजस्व रेकर्ड में खातेदार का गलत नाम रामसिंह पुत्र गाजीसिंह को सही नाम रामसिंह पुत्र राजूसिंह किया जाने की अनुशंषा के सहित जांच रिपोर्ट पेश की हैं।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली हों प्रार्थना पत्र में बताया कि उक्त पत्रावली में प्रार्थना पत्र टाईप करते समय भूलवश केवलमात्र एक खसरा नम्बर 2504/2 ही दर्ज किया गया, जबकि अशुद्वी दो खसरो नम्बर 2504/2, 2504/8 में हो रखी हैं उक्त भूल टंकण त्रुटि हैं। अतः दोनो खसरों का दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर बहस सुनी जाकर स्वीकार किया जाता हैं तथा आवश्यक संशोधन खसरा नम्बर 2504/8 को जोडे जाने के आदेश दिये जाते हैं। संशोधित प्रार्थना पत्र पेश हुआ हैं जों संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन् के पश्चात् सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 2504/2 रकबा 29.7282 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 2504/8 रकबा 16.1955 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में दर्ज रामसिंह पुत्र गाजीसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र राजूसिंह नाम दर्ज के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा खींवल पटवार हल्का रायपुर द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 2504/2 रकबा 29.7282 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 2504/8 रकबा 16.1955 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में दर्ज नाम रामसिंह पुत्र गाजीसिंह के स्थान पर रामसिंह पुत्र राजूसिंह नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर रायपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:25 IST
Reason: SelfAttested